न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 23 / 2019
अनवान :–

1. रामेश्वरी पत्नी रूडमल जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
सायल

बनाम्

1. नेक मोहम्मद पुत्र फतु जाति कुम्हार निवास परलीका तहसील नोहर।
–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955
उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा, अभिभाषक, प्रार्थी
श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता गैरसायल
निर्णय दिनांक : 14/09/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 117 / 95 के प0न0 362 / 416 (5) किला न0 13 / 0.2530 ,14 / 0.2530 ,15 / 0.2530 ,कुल 0.759हैक्ट भूमि सायला के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है एवं खातेदारी भूमि है।

रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 50 के प0न0 362 / 416(5) के किला न0 1 / 2 की 0.101 ,2 / 2 की 0.101 ,3 / 2 की 0.114 ,5 / 2 की 0.114 ,6 / 0.253 ,7 / 0.253 ,8 / 0.253 ,9 / 0.253 ,10 / 0.253 ,11 / 0.253 ,11 / 0.253 ,12 / .253 कुल 2. 3150 हैक्ट भूमि गैरसायल के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है।

सायला के खेत के लिये कोई भी सूविधाजनक रास्ता उपलब्ध नही है सायला मन्जुर शुद्वा रास्ता से चलकर उक्त रास्ता से पश्चिम से पूर्व प0न0 362 / 416(5) किला न0 11 ,12 के दक्षिणी किनारे पश्चिम से पूर्व अपने खेत प0न0 362 / 416(5) किला न0 13 में प्रवेश करती है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है किन्तु यह भूमि गेरसायल के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसके कारण गैरसायल सायला को आवागमन करने में बाधा करता है। सायला उक्त रास्ता स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के प0न0 362 / 416(5) किला न0 11 ,12 के दक्षिणी किनारे पश्चिम से पूर्व एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की सायला ने वादग्रस्त भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई है जो मिन उतरदाता के भाई से खरीद की है खरीददार नया रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है सायला ने मिन उत्तरदाता के खेत के किला न0 11 ,12 में से रास्ता की मांग की गई है जबकि खाला व रास्ता पत्थर लाईन पर ही स्वीकृत किया जा सकता है बिना किला मुरब्बा के बीच से रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता है।

प0न0 326 / 416(16) में से दक्षिण से उत्तर रास्ता स्वीकृत है तथा मु0न0 12 में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत है सायला प0न0 362 / 416(5) के किला न0 25 ,16 में से रास्ता स्वीकार करवाने की अधिकारी है जो बुधराम पुत्र गुगनराम के है गैरसायल के खेत के बीचो बीच रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता है इसप्रकार सायला ने प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के पेश किया गया है गैरसायल के खेत में से रास्ता स्वीकार करवाने की अधिकारी नही है साायला का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला एवं गैरसायल दोनों एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायला के खेत के लिये कोई भी सूविधाजनक रास्ता उपलब्ध नही है सायला मन्जुर शुद्वा रास्ता से चलकर उक्त रास्ता से पश्चिम से पूर्व प0न0 362 / 416(5) किला न0

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

11 ,12 के दक्षिणी किनारे पश्चिम से पूर्व अपने खेत प0न0 362/416(5) किला न0 13 में प्रवेश करती है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है किन्तु यह भूमि गैरसायल के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसके कारण गैरसायल सायला को आवागमन करने में बाधा करता है। सायला उक्त रास्ता स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला ने वादग्रस्त भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई है जो मिन उतरदाता के भाई से खरीद की है खरीददार नया रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है सायला ने मिन उत्तरदाता के खेत के किला न0 11 ,12 में से रास्ता की मांग की गई है जबकि खाला व रास्ता पत्थर लाईन पर ही स्वीकृत किया जा सकता है बिना किला मुरब्बा के बीच से रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता है।

प0न0 326/416(16) में से दक्षिण से उत्तर रास्ता स्वीकृत है तथा मु0न0 12 में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत है सायला प0न0 362/416(5) के किला न0 25 ,16 में से रास्ता स्वीकार करवाने की अधिकारी है जो बुधराम पुत्र गुगनराम के है गैरसायल के खेत के बीचो बीच रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता है इसप्रकार सायला ने प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के पेश किया गया है गैरसायल के खेत में से रास्ता स्वीकार करवाने की अधिकारी नही है साायला का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली एवं प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सायला एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है।

सायला का कथन है सायला को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है सायला अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता चाहती है।

गैरसायल का कथन है कि सायला ने भूमि खरीद की हुई है एवं सायला गेरसायल की भूमि में से रास्ता पाने की अधिकारी नही है क्योकि वह पत्थर लाईन पर नही है सायला मु0न0 5 के किला न0 25 ,16 में से प्रवेश कर सकती है।

सायला को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नजदीकी एवं सुविधा जनक रास्ता प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार नही है गैरसायल का कथन है कि मु0न0 5 के किला न0 25 ,16 में अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकती है किला न0 25 एवं 16 में रास्ता सायला के किये काफी दुरी पर होगा जबकि सायला के द्वारा चाहा गया रास्ता नजदीकी है

गैरसायल का कथन है कि रास्ता पत्थर लाईन पर ही स्वीकार किया जा सकता है स्वीकार योग्य नही है क्योकि यदि किसी काश्तकार की भूमि पत्थर लाईन पर पास नही होगी तो भी उसे उसकी खातेदारी भूमि तक पहुच का रास्ता नियमानुसार दिया जाना चाहिये मात्र पत्थर लाईन के अभाव में रास्ता न दिया जाना न्यायोचित नही है।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार भी सायला को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता नही है कटानी रास्ता से किला न0 11 ,12 में से सायला के द्वारा चाहा गया रास्ता नजदीकी व सुविधाजनक है यही रास्ता दिये जाने की अभिशषां भी की गई है इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नजदीकी एवं सुविधाजनक नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के प0न0 362/416(5) किला न0 11 ,12 में से दक्षिणी किनारे पर पश्चिम से पूर्व 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायला गैरसायल को मौजा चक 15 एनटीआर ए के प0न0 362/416(5) किला न0 15 में उसकी खातेदारी भूमि मे चिपते हुए देगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/9/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 251 (A) / 23 दिनांक 14/09/2021

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 23 सन 2019 निर्णय दिनांक 14/9/2021

अनवान :–

अनवान :–

1. रामेश्वरी पत्नी रूडमल जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. नेक मोहम्मद पुत्र फतु जाति कुम्हार निवास परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढं

–अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के प0न0 362/416(5) किला न0 11 ,12 में से दक्षिणी किनाने पर पश्चिम से पूर्व 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायला गैरसायल को मौजा चक 15 एनटीआर ए के प0न0 362/416(5) किला न0 15 में उसकी खातेदारी भूमि मे चिपते हुए देगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner